

48



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

नगरानी - 3392/2018/अलीराजपुर/भू.श

संतश्री आसारामजी आदिवासी कल्याण आश्रम
सेलवासा शाखा अलीराजपुर द्वारा सचिव-
विरेन्द्रसिंह पिता सुखराम, उम्र-वयस्क, धंधा-नोकरी
निवासी- कोसारिया तह. अलीराजपुररिविजनकर्ता

अशोक भागवत
दिनांक 2-6-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक चर्क हेतु
दिनांक 5-6-18 नियत।

विरुद्ध

1. छगनसिंह पिता स्व.भूवानसिंह जाति-भिलाला, उम्र-58 वर्ष, निवासी-लखनकोट तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर
2. दशरथ पिता स्व.भूवानसिंह जाति-भिलाल, उम्र-53 वर्ष, निवासी-लखनकोट तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर
3. श्रीमती वेस्ती पति स्व.भूवानसिंह जाति-भिलाला, उम्र- 65 वर्ष, निवासी-लखनकोट तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर

.....रिस्पॉन्डेन्ट

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर द्वारा कलेक्टर न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0009/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 से व्यथित होकर यह रिवीजन अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है -

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

2-6-18
व्यक्ति ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3392/18/अलीराजपुर/भूरा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-6-2018 | <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17-5-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170-ख का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर सुनवाई का अधिकार होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> | <p> अध्यक्ष</p> |

